भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3981
19 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां

3981. श्री इमरान मसूद:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के प्रवेश के बाद स्थानीय लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार देश भर में लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करने का विचार रखती है;
(ग) यदि हां, तो वर्ष 2019 से राज्य-वार कितनी लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित/पंजीकृत हैं;
(घ) क्या सरकार की लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु ऋण प्रदान करने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु किसानों से सरकार को कितने ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): पंजीकृत इकाइयों के लिए उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) और अनिगमित क्षेत्र उद्यम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के लिए वर्ष 2021-22 और 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

स्रोत	**2021-22**	**2022-23**
एएसआई	41,913	42,803
एएसयूएसई	21,48,289	22,99,046
कुल	**21,90,202**	**23,41,849**

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र योजना प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) और वर्ष 2020-21 से केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) के माध्यम से से पूरे देश में इकाइयों की स्थापना/विस्तार के लिए लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित कर रहा है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशेष नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं। पीएमकेएसवाई के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण इकाइयों की स्थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में ज़्यादातर ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय पीएमएफएमई योजना के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है। पीएमकेएसवाई के तहत वर्ष 2019 से पूर्ण/प्रचालनरत इकाइयों की राज्य-वार संख्या और पीएमएफएमई योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की राज्यवार जानकारी अनुबंध में दी गई है ।

(ङ): पीएमकेएसवाई के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है । पीएमएफएमई के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में 31 अक्टूबर, 2024 तक 39 ऋण स्वीकृत किए गए हैं ।

*****

अनुबंध

दिनांक 19.12, 2024 को उत्तर हेतु "बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3981 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 तक पीएमएफएमई के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या और पीएमकेएसवाई के तहत पूर्ण/प्रचालनरत परियोजनाओं की संख्या ।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएमएफएमई के तहत स्वीकृत ऋणों की संख्या	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत पूर्ण/ प्रचालनरत परियोजनाओं की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18	1
2	आंध्र प्रदेश	5,770	23
3	अरुणाचल प्रदेश	61	2
4	असम	1,689	29
5	बिहार	17,608	3
6	चंडीगढ़	5	0
7	छत्तीसगढ	732	2
8	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	10	1
9	दिल्ली	250	3
10	गोवा	82	1
11	गुजरात	553	58
12	हरियाणा	1,211	41
13	हिमाचल प्रदेश	1,670	24
14	जम्मू और कश्मीर	1,053	22
15	झारखंड	2,647	0
16	कर्नाटक	5,177	46
17	केरल	4,780	27
18	लद्दाख	71	0
19	मध्य प्रदेश	6,228	19
20	महाराष्ट्र	19,580	97
21	मणिपुर	277	1
22	मेघालय	156	2
23	मिजोरम	34	0
24	नागालैंड	284	1
25	ओडिशा	1,684	5
26	पुदुचेरी	136	1
27	पंजाब	2,454	29
28	राजस्थान	774	25
29	सिक्किम	58	0
30	तमिलनाडु	13,520	64
31	तेलंगाना	6,230	14
32	त्रिपुरा	135	4
33	उत्तर प्रदेश	12,815	45
34	उत्तराखंड	760	34
35	पश्चिम बंगाल	68	19
	कुल योग	**1,08,580**	**643**

*****